बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

संख्या–सं0का0–1/वि0मं0(मंत्री)4022/2006–1081/ पटना, दिनांक– 16 नवम्बर, 2006

बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 (2006 के अधिनियम सं0–15,) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

बिहार मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2006

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली बिहार मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।

   (2) यह नियमावली, मूल नियामवली के अधिसूचना द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम–2(छ) के बाद निम्नलिखित नियम 2(ज) जोड़ा जायेगाः–**

   (ज) "दैनिक–भत्ता" से अभिप्रेत है ऐसा भत्ता जो मंत्री को उनके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर प्रतिदिन के लिए अनुमान्य हो।

3. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम–5 के बाद निम्नलिखित नियम– 5क जोड़ा जायेगाः–**

   "5क–मुख्य मंत्री/मंत्री को उनके कार्य की प्रकृति के देखते हुए पदावधिपर्यनत प्रत्येक दिन 500/– रू0 की दर से दैनिक–भत्ता अनुमान्य होगा।"

4. **उक्त नियामवली, 2006 के नियम–9 में संशोधन** – नियम 9 का निम्नलिखित अंतिम वाक्य विलोपित किया जायगा :–

   "उपरोक्त यात्राओं के अवधि के लिए नियम–11 के अधीन दैनिक–भत्ता देय होगा।"

5. **उक्त नियमावली का नियम–10 में संशोधन** – नियम–10(ख) की दूसरी एवं तीसरी पंक्तियॉ एतद् द्वारा विलोपित की जाती है।

6. **उक्त नियमावली के नियम–11 का विलोपन** – उक्त नियमावली का नियम–11 एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

7. **उक्त नियमावली के नियम–14 का विलोपन** – उक्त नियमावली का नियम–14 एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भोगेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।